मामला सं. एडी (एसएसआर) - 05/2026

फा. सं. 7/09/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,

नई दिल्ली - 110001

दिनांक नवंबर 2026

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (एसएसआर)-05/2026

चीन जन.गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच



फा. सं. 7/09/2026-डीजीटीआर - सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975, समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और उसके अंतर्गत बनाई गई सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसमें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को कैबट सनमार लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से चीन जन.गण. (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार हेतु सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/09/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च 2026 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके द्वारा चीन जन.गण. से आयात पर संबद्ध जांच की शुरुआत की गई। यह जांच अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

A. मामले की पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत समर्थित आवेदन के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि इन देशों से आयात पाटित

कीमतों पर हो रहा था और इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई थी। तदनुसार, अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2021 के माध्यम से प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया।

4. तत्पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/05/2024-डीजीटीआर दिनांक 31 दिसंबर 2024 के माध्यम से यह जांच करने के लिए आमेलन-रोधी जांच शुरू की कि क्या शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा शुल्कों का आमेलन किया जा रहा था। जांच करने के बाद प्राधिकारी ने पाया कि उत्पादक ने उपायों को आमेलित कर लिया था और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 11 अगस्त 2025 के माध्यम से लगाए गए शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश की तथा वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के माध्यम से इसे लागू किया गया। पाटनरोधी शुल्क को अधिसूचना संख्या 19/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 10 फरवरी 2027 तक और विस्तारित किया गया।

5. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, उसके अंतर्गत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले प्रतिसंहृत न कर दिया जाए, लगाए जाने की तारीख से पांच (5) वर्ष से अनधिक अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। अधिनियम की धारा 9क(5) का परंतुक आगे ऐसे शुल्क को पांच (5) वर्ष तक की और अवधि के लिए विस्तारित करने का प्रावधान करता है, जहां उसकी समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना हो, और वह निम्नानुसार है:

> *"परंतु यदि केंद्र सरकार, किसी समीक्षा में, इस मत की है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, तो वह समय-समय पर ऐसे शुल्क को लगाए जाने की अवधि को पांच वर्ष तक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकती है और ऐसी और अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।"*

6. इसके अतिरिक्त, नियमावली का नियम 23(1ख) निम्नानुसार प्रावधान करता है:

> *"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश्चित पाटनरोधी शुल्क, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, उस अवधि से पहले स्वप्रेरणा से या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत समर्थित अनुरोध पर, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व युक्तियुक्त समय के भीतर शुरू की गई समीक्षा में, इस निष्कर्ष पर न पहुंचें कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है"*

7. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त हैं। आवेदन केवल चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में दायर किया गया था। तदनुसार, चूंकि कोरिया गणराज्य से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में कोई विधिवत समर्थित आवेदन नहीं था, इसलिए वर्तमान समीक्षा कोरिया गणराज्य से आयात के संबंध में शुरू नहीं की गई।

8. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत समर्थित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करें कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

B. प्रक्रिया

9. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

शुरुआत।

i. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया

ii. आवेदन की जांच करने पर, प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया। अतः, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/09/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च 2026 के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत की।

9.2 जांच अवधि और क्षति अवधि

iii. जांच अवधि ("जांच अवधि") 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 मानी गई। क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि और जांच अवधि को शामिल किया गया

9.3 आयात आंकड़े

iv. महानिदेशालय (प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन) ("डीजी सिस्टम्स") से क्षति अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों हेतु अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और लेन-देनों की विधिवत जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

9.4 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन।

v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शुरुआत अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों और उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने आवेदन की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध किया था, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावलियों को अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के

उत्पादकों को अग्रेषित करे और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।

9.5 संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों को सूचना और उनकी भागीदारी।

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए संबद्ध सामान के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी

ix. संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण कराया है:

क्र.सं.	संबद्ध देश में निर्यातकों / उत्पादकों का नाम
1	वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड
2	वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
3	वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड
4	शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड

x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी

xi. भारत के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण कराया है:

क्र.सं.	भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं का नाम
1	वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	जय केम मार्केटिंग

xii. शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, वर्तमान जांच में किसी भी एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया है या अभ्यावेदन नहीं दिया है।

xiii. संबद्ध देश के उन उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, असहयोगी माना गया है।

9.6 सार्वजनिक फाइल

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अभ्यावेदनों के अगोपनीय रूपांतर सेतु पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए।

9.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

xv. प्राधिकारी ने लोकहित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली ("ईआईक्यू") जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया।

9.8 मौखिक सुनवाई

xvi. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 7 जुलाई 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाएं।

9.9 आगे की प्रक्रिया।

xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी की जांच ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को जहां उचित था वहां स्वीकार किया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर जानकारी

देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।

xviii. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में उसे प्रकट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई गोपनीय जानकारी से प्राधिकारी द्वारा संसाधित की गई किसी भी जानकारी को भी इन अंतिम जांच परिणामों में गोपनीय माना गया है और वास्तविक आधार पर प्रकट नहीं किया गया है, क्योंकि इन अंतिम जांच परिणामों में ऐसी जानकारी के वास्तविक आधार पर प्रकटन से उस जानकारी का प्रकटन हो जाएगा जिसकी गोपनीयता नियमावली द्वारा संरक्षित की गई है।

xix. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी और आंकड़ों की सटीकता का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान उस सीमा तक किया गया जिसे प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक समझा गया। प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है, और प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xx. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, भारत में घरेलू समान वस्तु की उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर किया गया है।

xxi. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई जानकारी पर, उस सीमा तक जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक समझे गए हैं, विचार किया गया है।

xxii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकटन विवरण दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया, और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए पांच दिन का समय दिया गया। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड, वैकर समूह (वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड, वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड

और वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड), जय केम मार्केटिंग और घरेलू उद्योग से प्राप्त हुईं। प्राप्त टिप्पणियों की, उस सीमा तक जहां तक उन्हें प्रासंगिक समझा गया, जांच की गई है और इन अंतिम जांच परिणामों में उनका समाधान किया गया है।

xxiii. इन अंतिम जांच परिणामों में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत उसे इसी रूप में माना गया है।

xxiv. वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹86.76 है, जैसा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो आयातित माल के मूल्य के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा अधिसूचित, जांच अवधि के दौरान प्रवृत्त विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम जांच परिणामों में सर्वत्र यही दर लागू की गई है।
स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

C.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन।

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका एक समान या समरूप उत्पाद नहीं है।

ii. इसका विनिर्माण और विक्रय इसके अंतिम उपयोग और विनियामक अपेक्षाओं के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में किया जाता है।

iii. फार्मास्युटिकल ग्रेड सामग्री और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड सामग्री के बीच एक बुनियादी अंतर है। ये दोनों श्रेणियां विनिर्देशों, विनियामक अनुपालन, ग्राहक अपेक्षाओं और कार्यात्मक उपयोग के संदर्भ में भिन्न हैं।

iv. फार्मास्युटिकल ग्रेड सामग्री को काफी उच्च शुद्धता मानकों का अनुपालन करना होता है और इसका विनिर्माण, रखरखाव और कुछ मामलों में पुनः पैकेजिंग नियंत्रित वातावरण में किया जाना अपेक्षित है।

v. फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पादों में व्यापक परीक्षण, वैधीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें बैच-वार परीक्षण, स्थिरता अध्ययन और विनियामक फाइलिंग का रखरखाव शामिल है।

vi. उत्पाद की ये दोनों श्रेणियां पूर्णतः भिन्न बाजार खंडों में कार्य करती हैं और अलग-अलग मूल्य निर्धारण तंत्र के अधीन हैं।

vii. ग्रेड-आधारित विभेदन को प्राथमिक मानदंड के रूप में शामिल करने के लिए पीसीएन पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

viii. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड मुख्यतः औद्योगिक ग्रेड अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका का विनिर्माण और निर्यात करती है। वैकर फार्मास्युटिकल और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की आपूर्ति करती है। यदि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के बीच कोई अंतर नहीं है, तो दोनों उत्पादकों की कीमतों के बीच इतने बड़े अंतर का कोई कारण नहीं है।

ix. अलग-अलग पीसीएन का विरोध करते हुए भी, इसने फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों का अलग-अलग विश्लेषण किया है और स्वीकार किया है कि फार्मास्युटिकल खंड काफी अधिक लाभप्रद है। इसका अपना विश्लेषण यह स्थापित करता है कि दोनों ग्रेड वाणिज्यिक रूप से भिन्न हैं

C.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन।

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं।

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका है।

ii. उत्पाद का क्षेत्र वही है जो प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

iii. फार्मा और गैर-फार्मा के लिए अलग-अलग पीसीएन के मुद्दे की जांच मूल जांच में की गई थी और प्राधिकारी ने माना था कि दोनों को अलग-अलग पीसीएन के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है।

iv. दोनों ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन केवल तभी उपयुक्त हैं जब उत्पाद की उत्पादन लागत में सारवान अंतर हो।

v. फार्मा और गैर-फार्मा अनुप्रयोगों के लिए आपूर्ति किए गए उत्पाद की उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं है।

vi. जब तक संबद्ध देश का उत्पादक यह दावा नहीं करता कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में कार्य कर रहा है, कीमत में अंतर का पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

vii. संबद्ध देश के उत्पादक द्वारा लागत और कीमत में अंतर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

C.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था। मूल जांच में परिभाषित और शुरुआत के चरण में विचार किया गया विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

"3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" है। सिलेन यौगिक के वाष्प-चरण ज्वाला हाइड्रोलिसिस से विनिर्मित सिंथेटिक सिलिका को सामान्यतः फ्यूम्ड सिलिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की सिंथेटिक सिलिका अपनी कार्यात्मकता, विनिर्माण प्रक्रिया और आवश्यक कच्चे माल के कारण अन्य सिलिका से भिन्न है। जबकि अन्य सिंथेटिक सिलिका द्रव चरण में सिलिकेट विलयन से बनाई जाती हैं, फ्यूम्ड सिलिका का विनिर्माण गैस चरण में बहुत उच्च तापमान पर किया जाता है।

4. फ्यूम्ड सिलिका को अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका और ट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका क्लोरोसिलेन फीडस्टॉक के ऑक्सीजन-हाइड्रोजन ज्वाला में 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ज्वाला हाइड्रोलिसिस द्वारा बनाई जाती है। यह प्रक्रिया श्रृंखला जैसे एग्रीगेट और एग्लोमरेट से युक्त विशिष्ट संरचना वाली सिलिका के उत्पादन को संभव बनाती है।

5. अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका का विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मानों, जैसे 150 या 200 या 300 या 380 वर्ग मीटर/ग्राम, के आधार पर अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त

विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे प्रचलित ग्रेड 200 वर्ग मीटर/ग्राम है, जिसका उपयोग विविध अनुप्रयोगों में किया जाता है।

6. यह एक मुक्त-प्रवाही चूर्ण उत्पाद है, जिसका उपयोग व्यापक अनुप्रयोगों में किया जाता है। अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका ठोस प्रणालियों में मुक्त-प्रवाह गुणों में सुधार करती है और फार्मास्युटिकल्स में मुक्त-प्रवाह और टैबलेटिंग एजेंट के रूप में तथा खाद्य पदार्थों और कृषि रसायनों में एंटी-केकिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग द्रव फ्लेवर और सुगंधों के वाहक के रूप में भी किया जाता है। संबंधित उत्पाद ठोस है जिसका शुद्ध भार किलोग्राम या एमटी में व्यक्त किया जाता है।

7. फ्यूम्ड सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अध्याय 28, उपशीर्ष 2811 2200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत में आयात की जा रही अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष 28112190, 2839100 और अध्याय 34 के 34049090 जैसे विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत भी आयात की जा रही है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति का है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

13. विचाराधीन उत्पाद के आयात पर चीन से आयात के लिए एशिया-प्रशांत व्यापार करार, 1975 के अंतर्गत 4.13% की मूल सीमा शुल्क रियायत प्राप्त है।

14. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी बहिष्करण या उसमें संशोधन की मांग नहीं की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन पीसीएन पद्धति अपनाने तक सीमित हैं, जिसकी जांच नीचे की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को यथावत बनाए रखते हैं।

➢ <u>पीसीएन पर टिप्पणियां</u>

15. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति अपनाने की आवश्यकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों की जांच की है।

16. पीसीएन पद्धति अपनाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम उपयोग, विनियामक अपेक्षाओं और मूल्य निर्धारण में

अंतर के आधार पर उत्पाद को फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों में पृथक करने का प्रस्ताव किया है। यह देखा गया है कि यद्यपि फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेडों की कीमत में अंतर स्वीकार किया गया है (घरेलू उद्योग द्वारा तथा शेडोंग द्वारा भी), किसी भी पक्षकार ने दोनों ग्रेडों की उत्पादन लागत में किसी अंतर को न तो मात्राबद्ध किया है और न ही सत्यापन योग्य साक्ष्य से समर्थित किया है। दोनों ग्रेडों के बीच कथित अंतर फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पादों में व्यापक परीक्षण, वैधीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाओं, जिनमें बैच-वार परीक्षण, स्थिरता अध्ययन और विनियामक फाइलिंग का रखरखाव शामिल है, से उत्पन्न होना बताया गया है। तथापि, इन प्रक्रियाओं के लागत प्रभाव को प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं है। शेडोंग के इस तर्क के संबंध में कि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता वैकर और शेडोंग के निर्यातों की कीमत में अंतर से समर्थित होती है, क्योंकि वैकर विशेष रूप से फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पाद का निर्यात करती है और उसकी कीमत अधिक है, वैकर ने इस दावे का प्रतिवाद किया है और स्पष्ट किया है कि वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड फार्मास्युटिकल ग्रेड संबद्ध सामान का विनिर्माण नहीं करती है, और वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड भारत को उसका निर्यात नहीं करती है। दोनों प्रतिभागी उत्पादक भारत को गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पाद का निर्यात करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि दो निर्यातकों के निर्यात मूल्यों की तुलना अपने आप में ग्रेडों के बीच अंतर स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक निर्यातक की कीमत उसके अपने वाणिज्यिक विचारों को दर्शाती है।

17. प्राधिकारी देखते हैं कि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए हैं कि उत्पाद विशेषताओं में ऐसे अंतरों के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में सारवान भिन्नता होती है, जिससे अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति का उद्देश्य उन उत्पाद प्रकारों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करना है जिनकी भौतिक या तकनीकी विशेषताओं से लागत और कीमत में सारवान अंतर उत्पन्न होता है। केवल बिक्री कीमत में अंतर अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता का निर्णायक नहीं होता, क्योंकि कीमतें विभिन्न कारकों से निर्धारित होती हैं, जिनमें से कुछ का उत्पादन लागत से संबंध नहीं भी हो सकता है। अन्यथा भी,

परीक्षण, वैधीकरण, प्रमाणन और विनियामक फाइलिंग की लागतें गुणवत्ता-नियंत्रण और अनुपालन उपरिव्यय की प्रकृति की हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं दर्शाया है कि ये लागतें कुल उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, या ये दोनों ग्रेडों के बीच लागत में सारवान अंतर उत्पन्न करती हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के बीच पृथक्करण के मुद्दे की जांच मूल जांच में की गई थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ऐसा भेद अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता नहीं दर्शाता। वर्तमान जांच में, पूर्व दृष्टिकोण से विचलन को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई नया साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग की लागत संरचनाओं पर आधारित है। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं बताया है, क्षतिरहित कीमत विभिन्न ग्रेडों के लिए समान रहेगी, विशेषकर तब जब अलग पीसीएन का अनुरोध करने वाले पक्षकार ने यह दावा नहीं किया है कि उसने दोनों ग्रेडों का निर्यात किया है। अतः, विभिन्न ग्रेडों के आयात मूल्यों को पृथक करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और उत्पादों को एक या अलग-अलग पीसीएन के रूप में माने जाने पर परिणामी क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के बीच बाजार मूल्य निर्धारण सहित भिन्न वाणिज्यिक और विनियामक विशेषताएं विद्यमान हैं, हितबद्ध पक्षकार संबंधित ग्रेडों के बीच वास्तविक उत्पादन लागत में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली सत्यापन योग्य और मात्राबद्ध सामग्री रिकॉर्ड पर रखकर अपेक्षित प्रमाण-भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

18. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा माल के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह माना जाता है कि

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।

D. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

D.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है।

D.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

21. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. आवेदन कैबट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध सामान की एकमात्र उत्पादक है।

ii. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देश के किसी निर्यातक से और न ही भारत के किसी आयातक से संबद्ध है।

D.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

23. वर्तमान आवेदन कैबट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामान की एकमात्र उत्पादक है।

24. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देश में संबद्ध सामान के किसी निर्यातक उत्पादक से और न ही भारत में उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की गई है, और यह पाया गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

25. उपर्युक्त को देखते हुए, यह माना जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 23 के साथ पठित नियम 5(3) के अनुसार स्थिति (स्टैंडिंग) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

E. विविध मुद्दे और गोपनीयता।

E.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं: -

i. घरेलू उद्योग ने संभावना का दावा करने के लिए अप्रमाणित बाजार अनुसंधान रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

ii. घरेलू उद्योग ने आयात की मात्रा और आयात के मूल्य का पता लगाने के लिए अप्रमाणित आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

iii. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य स्थायी संरक्षण प्रदान करना नहीं है और इसे नियम 23 के अंतर्गत केवल तभी जारी रखा जा सकता है जब सकारात्मक साक्ष्य से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना स्थापित होती हो। चूंकि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः विद्यमान शुल्क को समाप्त हो जाने दिया जाना चाहिए।

E.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

27. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं: -

i. हितबद्ध पक्षकारों के इस अभ्यावेदन पर कि घरेलू उद्योग ने अप्रमाणित आंकड़ों पर भरोसा किया है, व्यापार उपचार महानिदेशालय महानिदेशालय (प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन) (डीजी सिस्टम्स) या डीजीसीआईएंडएस से सूचना मंगाता है और निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसी को अपनाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निर्धारण के लिए केवल अपने ही आंकड़ों के उपयोग पर जोर नहीं दिया है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अभ्यावेदन पर कि घरेलू उद्योग ने अप्रमाणित आंकड़ों पर भरोसा किया है, घरेलू उद्योग ने बीजिंग साइनो एडवांस्ड केमिकल मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन (एसीएमआई) की रिपोर्टों पर भरोसा किया है, जो नए रासायनिक पदार्थ उद्योग के अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता रखने वाला एक पेशेवर सेवा संगठन है।

E.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल अभ्यावेदनों के अगोपनीय रूपांतर सेतु पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

> *"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर, उनके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी कोई सूचना, ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।*

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि, ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में, ऐसी सूचना का सारांश बनाया जाना संभव नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।"

29. घरेलू उद्योग और प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों की, जिस सीमा तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री माध्यम, बिक्री और क्रय दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां कहीं सूचना क्षति अवधि के लिए है, वही सूचकांकित आधार पर दी गई है। क्षतिरहित कीमत और मूल्य कटौती जैसी सूचना आवेदक द्वारा सीमा (रेंज) में प्रकट की गई है।

30. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचना में, जहां कहीं ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है, गोपनीयता का दावा किया है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उन्हें गोपनीय होने का दावा किया गया है। जहां कहीं हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय होने का दावा किया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि इन दस्तावेजों

का सारांश बनाया जाना संभव नहीं है और उन्होंने कारण दिए हैं कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

31. प्राधिकारी ने सूचना की प्रकृति और प्रत्येक दावे के समर्थन में दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं उचित था, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

32. आयातों की जांच के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से लेन-देन-वार आयात आंकड़े मंगाए और उनकी तुलना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों से की, और पाया कि आयात मात्रा और कीमत तुलनीय थीं। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने शुरुआत, वर्तमान जांच और प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है।

33. आवेदक द्वारा भरोसा की गई बाजार अनुसंधान रिपोर्टों की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने उद्योग-विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त सूचना पर भरोसा किया है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई रिपोर्ट बीजिंग साइनो एडवांस्ड केमिकल मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और साइनो अलायंस ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री द्वारा प्रकाशित की गई है, जो सिलिकॉन उद्योग से संबंधित अनुसंधान और विकास में संलग्न संस्थान हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि उक्त रिपोर्टें अविश्वसनीय हैं या उनमें विश्वसनीयता का अभाव है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के विचारार्थ कोई विपरीत साक्ष्य या सूचना प्रदान नहीं की गई है। प्राधिकारी ने विद्यमान उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का आकलन करते समय चीन के प्रतिभागी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर भी विचार किया है। उपर्युक्त

को देखते हुए, प्राधिकारी को उक्त रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सूचना की अनदेखी करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है और तदनुसार, उन्होंने वर्तमान प्रयोजन के लिए उसी को ध्यान में लिया है।

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने को उचित ठहराने के लिए सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना और प्रथम दृष्टया साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखे गए थे। प्राधिकारी, उपलब्ध सूचना की जांच करने पर, संतुष्ट थे कि यह जांचने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है, जांच की शुरुआत के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया आधार विद्यमान थे। अंतिम निष्कर्ष सभी तथ्यों की जांच पर आधारित होगा।

<u>पाटन का आकलन - पद्धति और मानदंड</u>

F. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

F.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं।

i. चीन जन.गण. के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था होने की धारणा और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का दावा दाखिल करने की अपेक्षा 11 दिसंबर 2016 को चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के प्रावधानों की समाप्ति के साथ समाप्त हो गई। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रतिभागी चीनी उत्पादकों की वास्तविक घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, और 2016 के पश्चात प्रतिनिधि देश पद्धति पर भरोसा करना विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों से असंगत है

ii. चीन के लिए सामान्य मूल्य चीन के उत्पादकों द्वारा दी गई लागत और कीमत संबंधी सूचना के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

iii. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की वास्तविक निर्यात मूल्य प्रवृत्ति इस आरोप का समर्थन नहीं करती कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा भारतीय बाजार में पाटन जारी रखने या पुनः आरंभ करने की संभावना है।

iv. वैकर समूह समूह के भीतर अंतरणों के लिए यूरोपीय बिक्री कीमतों के संदर्भ में एक वैश्विक संदर्भ मूल्य निर्धारण मॉडल पर कार्य करता है, और वैकर के मूल्य निर्धारण पर भरोसा करने से सामान्य मूल्य का निर्धारण विकृत हो जाएगा।

v. घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि जापानी निर्यात कीमतें एक उपयुक्त बेंचमार्क हैं या कि उत्पाद विनिर्देशों, ग्रेड, बाजार स्थितियों या लागत संरचना की दृष्टि से तुलनीय हैं।

F.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

36. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. परिग्रहण प्रोटोकॉल और प्राधिकारी की पद्धति के अनुसार, चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार केवल तभी अनुमत किया जा सकता है जब उसका दावा किया जाए और उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित की जाए।

ii. किसी भी उत्पादक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) प्रश्नावली दाखिल नहीं की है।

iii. चूंकि किसी भी उत्पादक ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, अतः प्राधिकारी के लिए चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है।

iv. सामान्य मूल्य जापान से आयात मूल्य पर आधारित होना चाहिए, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया हो।

F.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

i. समान वस्तु के लिए, जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में तुलनीय कीमत, जो उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो, या

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो, या जब विशेष बाजार स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति न देती हो, तो सामान्य मूल्य निम्न में से कोई एक होगा:

a. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत, जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाती है, जो उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो; या

b. मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, साथ में प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए, और लाभ के लिए, उचित जोड़, जो उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो;

परंतु मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से मात्र पारेषित (ट्रांसशिप) किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित न होती हो या निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत न हो, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

38. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गईं, जिनमें उन्हें निर्धारित प्रपत्र और रीति में सूचना देने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं: (क) शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक); और (ख) वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), अपने संबद्ध निर्यातक वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड के साथ।

F.3.1 चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण।

39. प्राधिकारी चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करते हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए सम्यक रूप से समायोजित किया गया हो, किया जाएगा। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित रीति से [संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए] किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। समय-सीमा के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन की सूचना अनुचित विलंब के बिना दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समयावधि दी जाएगी।

"8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" पद का अर्थ ऐसे किसी देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर कार्य न करने वाला निर्धारित करते हैं, जिससे ऐसे देश में माल की बिक्री माल के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती।

(2) यह धारणा होगी कि कोई भी देश जिसे जांच से पूर्व की तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए गैर-बाजार

अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है, या ऐसा माना गया है, वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। परंतु, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रदान करके ऐसी धारणा का खंडन कर सकती हैं जो यह स्थापित करते हों कि उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों के कीमतों, लागतों और निविष्टियों, जिनमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, के संबंध में निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतों के अनुसार और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं, और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें सारभूत रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे ले जाई गई महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते डालने, वस्तु-विनिमय व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के परिचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और (घ) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किए जाते हैं। परंतु, जहां इस पैरा में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियां विद्यमान हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 और इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप-पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसे, प्रासंगिक मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, ऐसे मूल्यांकन के किसी सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशन द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य किसी देश द्वारा पाटनरोधी जांच के

प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है या माना जाना निर्धारित किया गया है।"

40. शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने की धारणा के साथ कार्यवाही की। शुरुआत के उपरांत, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना देने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस संबंध में प्रासंगिक सूचना देने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

41. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य निम्नलिखित नियमों के आधार पर या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा या ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य मूल्य तुलनीयता के निर्धारण में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार करते समय, एससीएम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस प्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखती हों कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें सदैव उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकतीं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसी प्रचलित निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा और उप-पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार जब चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर ले कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तिथि के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड अंतर्विष्ट हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तिथि के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर ले कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।"

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11 दिसंबर 2016 से समाप्त हो गए हैं, तथापि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान, परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, यह अपेक्षा करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का दर्जा प्राप्त करने के

दावे के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाए।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित धारणाओं का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। अतः पैरा 8(2) के अंतर्गत धारणा अखंडित बनी रहती है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि सामान्य मूल्य प्रतिभागी उत्पादकों की घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

44. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए अनेक संभाव्य पद्धतियां निर्धारित करता है, जिनमें शामिल हैं (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात मूल्य; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए सम्यक रूप से समायोजित किया गया हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

45. आवेदन दाखिल करने के चरण में, आवेदक ने अभ्यावेदन किया कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य जापान से आयात मूल्य पर आधारित होना चाहिए, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया हो। शुरुआत के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से आयात मूल्य के आधार पर किया गया, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया।

46. नियमावली के अंतर्गत पहला विकल्प किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है। इसमें ऐसे तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत शामिल हो सकती है, चाहे वह किसी घरेलू उत्पादक द्वारा ली गई हो या किसी उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत में प्रतिबिंबित हो, जिसमें वह स्थिति भी शामिल है जहां उत्पाद किसी अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया गया हो, या किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादन लागत, जिसमें लाभ के लिए उचित जोड़ किया गया हो। जांच के किसी भी पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की है। तदनुसार, इस पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।

47. अगला विकल्प किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को निर्यात मूल्य है। पाटनरोधी उपायों के अधीन न आने वाले किसी देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात की सर्वाधिक मात्रा जापान से थी। जापान से संबद्ध उत्पाद के आयात न केवल जांच अवधि के दौरान बल्कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भी दर्ज किए गए हैं।

48. नीचे दी गई तालिका जांच अवधि के दौरान जापान और चीन से आयातों को, फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्रों के बीच उनके पृथक्करण सहित, दर्शाती है।

विवरण	**मात्रा एमटी में**	**सीआईएफ मूल्य रु. लाख में**	**सीआईएफ कीमत** रु. प्रति एमटी
जापान से आयात	762	3,587	4,70,394
फार्मा ग्रेड	-	-	-
गैर-फार्मा ग्रेड	762	3,587	4,70,394
चीन जन.गण. से आयात	1,381	4,409	3,19,361
फार्मा ग्रेड	199	754	3,78,424
गैर-फार्मा ग्रेड	1,181	3,655	3,09,403

49. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान जापान से आयात पूर्णतः गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड के हैं, जो वह ग्रेड है जिसका चीन जन.गण. से आयातों में लगभग 86% हिस्सा है। अतः जापान से आयात संबद्ध देश से मुख्यतः आयातित ग्रेड के तुलनीय हैं। यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच और आमेलन-रोधी जांच में, सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से गैर-फार्मा ग्रेड के आयात मूल्य के आधार पर किया गया था, और वर्तमान समीक्षा की शुरुआत के चरण में भी वही आधार अपनाया गया था। शुरुआत अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षकारों को सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति के संबंध में टिप्पणियां और सुप्रमाणित दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तथापि, वे मूल जांच में स्थापित पद्धति से विचलन की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाला कोई सारवान औचित्य प्रदान करने में विफल रहे हैं।

50. इसे देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से भारत को औसत निर्यात मूल्य के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। चूंकि यह सीआईएफ निर्यात मूल्य है, अतः इसे सीआईएफ से कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) तक के व्ययों के लिए समायोजित किया गया है। इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से भारत को सीआईएफ निर्यात मूल्य में से समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा जैसे व्ययों को घटाकर कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

F.3.2 चीन के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण।

i. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड

51. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में भाग लिया है। उत्पादक ने मूल जांच में भी भाग लिया था और उसे शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान की गई थी। वर्तमान जांच में, उत्पादक ने सूचित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को सीधे निर्यात किया है और इसमें कोई संबद्ध या असंबद्ध व्यापारी शामिल नहीं है।

52. उत्पादक ने *** यूएसडॉ. के बीजक मूल्य पर उत्पाद के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और संबंधित व्यय, उधार लागत और बैंक प्रभार के मद में समायोजनों का दावा किया है, और उन्हें स्वीकार किया गया है। कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. <u>वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड</u>

53. वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में भाग लिया है। उत्पादक ने मूल जांच में भी भाग लिया था और यह पाया गया था कि उत्पादक के भारत को निर्यातों का पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से अधिक था और तदनुसार, उत्पादक के निर्यातों पर किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी। वर्तमान जांच में, उत्पादक ने सूचित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया है, जिसने भी प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों के साथ-साथ वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी बिक्री की है। वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का उपभोग अनुप्रवाह उत्पाद बनाने के लिए किया है।

54. उत्पादक ने *** यूएसडॉ. के बीजक मूल्य पर उत्पाद के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और संबंधित व्यय, उधार लागत, बैंक प्रभार और कमीशन के मद में समायोजनों का दावा किया है, और उन्हें स्वीकार किया गया है। यह देखा गया है कि मूल जांच में उत्पादक का क्षति मार्जिन ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि वर्तमान जांच की जांच अवधि में भी उत्पादक का क्षति मार्जिन ऋणात्मक बना हुआ है। निर्यात मूल्य का निर्धारण दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के आधार पर किया गया है। चूंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाए कि सीमा शुल्क को सूचित निर्यात मूल्य विश्वसनीय नहीं है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि शुद्ध निर्यात मूल्य के निर्धारण से उस कीमत को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है जिस पर उत्पादक ने भारत में संबद्ध प्रयोक्ता को निर्यात किया है। कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. <u>चीन से कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक</u>

55. चीन जन.गण. के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

F.3.3 <u>चीन के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

56. उपर्युक्त रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना की गई है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	**सामान्य मूल्य**	**शुद्ध निर्यात मूल्य**	**पाटन मार्जिन**		
	डॉ./एमटी	**डॉ./एमटी**	**डॉ./एमटी**	**%**	**सीमा**
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	130-140%
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से	***	***	***	***	50-60%
अन्य सभी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	150-160%

57. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन धनात्मक है और न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक है। उत्पाद का पाटन जारी रहा है।

क्षति, क्षति की संभावना, कारणात्मक संबंध और लोकहित का आकलन

G. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

G.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. आंकड़ों से यह स्थापित नहीं होता कि चीन जन.गण. से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

ii. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात बढ़े हैं, घरेलू उद्योग ने साथ ही साथ अपने निष्पादन में सुधार किया है।

iii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में लगातार वृद्धि की है।

iv. स्थापित क्षमता में 15% की वृद्धि हुई है, उत्पादन में 26% की वृद्धि हुई है और क्षमता उपयोग में 8% का सुधार हुआ है, जो उत्पादन सुविधाओं के निरंतर विस्तार और कुशल उपयोग को दर्शाता है।

v. यद्यपि लाभप्रदता के कुछ मानदंडों में मामूली गिरावट देखी गई है, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है।

vi. पाटन का दावा भ्रामक है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की आयातित कीमत में कोई भी कमी सिलिकॉन धातु की विद्यमान वैश्विक कीमत पर निर्भर करती है।

vii. प्राधिकारी को वैकर को छोड़कर उत्पादक-वार आयात मात्रा की जांच करनी चाहिए।

viii. शुल्क प्रतिसंहृत किए जाने के बाद भविष्य में क्षति की संभावना पाटनरोधी नियमावली के नियम 11(2) को अनुबंध-II (vii) के साथ पढ़ने पर अनुमेय नहीं है।

ix. घरेलू उद्योग के सभी प्रमुख वित्तीय संकेतक धनात्मक बने हुए हैं और नियोजित पूंजी पर घटते प्रतिफल पर निर्भरता भ्रामक है।

x. वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के उत्पाद मूल्य पर निर्भरता एक गलत मानक है क्योंकि यह समूह के भीतर अंतरण के लिए

वैश्विक संदर्भ मूल्य निर्धारण मॉडल पर कार्य करती है, न कि खुले चीनी बाजार के मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करती है;

xi. वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत आवेदक द्वारा अनुमानित क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है और इसलिए वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के निर्यात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते।

xii. मूल्यह्रास और बिक्री व्यय में वृद्धि यह दर्शाती है कि वित्तीय निष्पादन घरेलू उद्योग के स्वयं के निवेश निर्णयों से भी प्रभावित हुआ है।

xiii. नियोजित पूंजी के दोनों घटकों पर एकसमान रूप से 22% अपनाकर नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना पूर्णतः गलत है और इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

xiv. घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वैकर समूह क्षति नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि उसकी कीमतें बहुत अधिक हैं।

xv. घरेलू उद्योग ने केवल चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि पर निर्भरता रखी है, जबकि इस तथ्य की उपेक्षा की है कि क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में 124% की वृद्धि हुई और उसकी स्वयं की घरेलू बिक्री में 40% की वृद्धि हुई।

G.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

59. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।

ii. निष्पादन में मात्र सुधार का यह अर्थ नहीं हो सकता कि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिया जाना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में मूल्य निर्धारक नहीं है और अपनी कीमतें आयात कीमतों के अनुसार तय कर रहा है। गैर-फार्मा क्षेत्र के मामले में, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें चीनी आपूर्तिकर्ताओं के अनुसार तय करता है। गैर-फार्मा क्षेत्र में, चीन से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से उल्लेखनीय रूप से कम है।

iv. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है, जिस पर वर्तमान में शून्य शुल्क है।

v. आयातों की मात्रा अवधि के दौरान बढ़ी और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

vi. आधार वर्ष से आयातों में 377% की वृद्धि हुई है।

vii. जांच अवधि के दौरान भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात सर्वाधिक थे।

viii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से सारवान रूप से कम कीमत पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

ix. धनात्मक मूल्य कटौती यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों के अवनमित होने की संभावना है।

x. पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है।

xi. आयात कीमत उत्पाद को बनाने और बेचने की लागत से सारवान रूप से कम है।

xii. यदि घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ेगा।

xiii. क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने डी-बॉटलनेकिंग के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

xiv. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के विस्तार के लिए उल्लेखनीय पूंजी निवेश कर रहा है और यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो इन निवेशों को गंभीर हानि होगी।

xv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है, जबकि चीनी आयातों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा है और जांच अवधि में सर्वाधिक था।

xvi. चीन के आयात मात्रा और बाजार हिस्से में वृद्धि गैर-संबद्ध देशों के आयातों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक दर से हुई है।

xvii. घरेलू उद्योग के लाभ 2023-24 में घटे और उसके बाद उनमें मामूली वृद्धि हुई।

xviii. घरेलू उद्योग प्रवृत्त शुल्क के कारण लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा है।

xix. फार्मा क्षेत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता गैर-फार्मा बाजार की तुलना में कहीं बेहतर है।

G.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11, अनुबंध-II के साथ पठित, यह उपबंध करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय मूल्य कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक अवनमित करना अथवा उन मूल्य वृद्धियों को, जो अन्यथा हुई होतीं, उल्लेखनीय सीमा तक रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकांकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, माल-सूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और मार्जिन आदि, पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाएं। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि अन्य नहीं। प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए क्षति के सभी मानदंडों पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही है, और क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

62. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों का समाधान करता है।

63. हितबद्ध पक्षकारों ने नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अपनाए जाने पर आपत्ति की है और तर्क दिया है कि इसके स्थान पर पाटन-मुक्त अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर वास्तविक प्रतिफल अपनाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का अनुबंध-III नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व) का उल्लेख करता है और नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल, जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करना प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है। उक्त प्रतिफल को उचित माना जाता है क्योंकि इससे उधार पर ब्याज, निगम कर और इक्विटी पर प्रतिफल को पूरा करना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority) के संदर्भ के संबंध में, यह देखा गया है कि उस मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष उस विशेष मामले में प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा से विचलन को न्यायोचित ठहराने वाले विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तथापि, वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे विचलन को न्यायोचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मैसर्स ह्योसंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority) के संदर्भ के संबंध में, यह देखा गया है कि 2011 में माननीय अपीलीय अधिकरण के इस निर्णय के पश्चात, तांगशान सान्यू ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited v. Union of India), मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (Merino Panel Products v. Designated Authority) और मैसर्स पर्स्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य (M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority & Ors.) सहित अनेक मामले हुए हैं, जिनमें माननीय अपीलीय अधिकरण ने क्षति विश्लेषण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अपनाने की प्राधिकारी की प्रथा को लगातार बरकरार रखा है। अतः प्राधिकारी वर्तमान जांच में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल को उपयुक्त मानते हैं।

G.3.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

a. मांग/खपत का आकलन

64. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से उत्पाद के आयातों के योग के रूप में किया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	770	960	1,300	1,381
अन्य आयात	एमटी	1,530	1,589	1,755	1,776
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	121	143	140
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	116	138	139

65. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

b. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, या तो निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर निर्भरता रखी है। सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	770	960	1,300	1,381
अन्य आयात	एमटी	1,530	1,589	1,755	1,776
कुल आयात	एमटी	2,301	2,549	3,055	3,156

आयात निम्नलिखित के संबंध में:					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	115	136	142
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	122	129
कुल आयात	%	33%	38%	43%	44%

67. यह देखा गया है कि:

i. संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी, जिसमें सबसे तीव्र वृद्धि 2024-25 में हुई। मात्रा जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

ii. संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष से जांच अवधि तक 79% की वृद्धि हुई है।

iii. आयात भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी बढ़े हैं। जांच अवधि के दौरान भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात सर्वाधिक थे।

iv. भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात आधार वर्ष में *** से बढ़कर जांच अवधि में *** हो गए, जो क्षति अवधि में 13 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

v. भारतीय खपत के संबंध में आयात आधार वर्ष में *** से बढ़कर जांच अवधि में *** हो गए, जो क्षति अवधि में 4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

68. आवेदक ने फार्मा और गैर-फार्मा अनुप्रयोग में विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों की सूचना प्रदान की है। यह कहा गया है कि संबद्ध देश से भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले अधिकांश आयात गैर-फार्मा ग्रेड में हैं, जबकि गैर-संबद्ध देशों से आयात फार्मा ग्रेड में हैं। नीचे दी गई तालिका डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों के अनुसार सूचना दर्शाती है। यह देखा गया है कि यद्यपि यह सही है कि चीन से आयात मुख्यतः गैर-फार्मा ग्रेड में हैं, अन्य देशों से आयात फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेड में फैले हुए हैं। घरेलू उद्योग ने भी फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेड में बिक्री की है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच**

					अवधि
चीन से आयात	**एमटी**	**770**	**960**	**1,300**	**1,381**
फार्मा	एमटी	190	214	274	199
गैर-फार्मा	एमटी	580	746	1,026	1,181
अन्य देशों से आयात	**एमटी**	**1,530**	**1,589**	**1,755**	**1,776**
फार्मा	एमटी	684	692	867	858
गैर-फार्मा	एमटी	846	897	888	918
घरेलू उद्योग की बिक्री	**एमटी**	*******	*******	*******	*******
फार्मा	एमटी	***	***	***	***
गैर-फार्मा	एमटी	***	***	***	***

69. नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से गैर-फार्मा और फार्मा ग्रेड की कीमत दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेड की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं है, वहीं फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेड की कीमत में सारवान अंतर है। यह कीमत अंतर चीनी उत्पादकों (जहां अंतर बहुत कम है) को छोड़कर प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के संबंध में देखा गया है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
चीन से आयात					
फार्मा	रु./एमटी	5,05,983	4,21,447	4,05,416	3,78,424
गैर-फार्मा	रु./एमटी	4,31,300	2,82,076	3,22,299	3,09,403
अन्य देशों से आयात					
फार्मा	रु./एमटी	6,48,703	6,23,856	5,95,523	6,32,068
गैर-फार्मा	रु./एमटी	5,48,698	4,99,181	4,81,657	4,77,352
घरेलू उद्योग की बिक्री					
फार्मा	रु./एमटी	***	***	***	***

गैर-फार्मा	रु./एमटी	***	***	***	***

G.3.2 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

70. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय मूल्य कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक अवनमित करना अथवा उन मूल्य वृद्धियों को, जो अन्यथा हुई होतीं, उल्लेखनीय सीमा तक रोकना है।

a. मूल्य कटौती

71. मूल्य कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करके किया गया है।

विवरण	इकाई	मूल्य
पहुंच कीमत	रु./एमटी	3,33,870
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
मूल्य कटौती	रु./एमटी	***
मूल्य कटौती	%	50-60%

72. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमत में उल्लेखनीय रूप से कटौती कर रहे थे।

b. मूल्य दमन और अवनमन

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को अवनमित कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक दबाना अथवा उन मूल्य वृद्धियों को रोकना है जो सामान्य क्रम में अन्यथा हुई होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि

बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	90	81	78
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	79	74	75

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों क्षति अवधि के दौरान घटीं, और बिक्री कीमत में गिरावट (25%) बिक्री लागत में तदनुरूपी गिरावट (20%) से अधिक थी। बिक्री कीमत में गिरावट मुख्यतः 2023-24 में हुई। उसके बाद, बिक्री कीमत में मामूली गिरावट हुई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान उसकी बिक्री लागत से ऊपर बनी रही है, जिसका कारण प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क हो सकता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग उत्पाद को पर्याप्त और लाभकारी स्तर पर बेचने में सक्षम रहा है। अतः यह माना जाता है कि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के साथ, पाटित आयातों ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक दबाया या अवनमित नहीं किया है।

G.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

75. नियमावली का अनुबंध-II यह उपबंध करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की चर्चा नीचे की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अभ्यावेदनों में प्रस्तुत विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

a. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	100	111	115
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	122	124
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	109	124	126
गैर-विचाराधीन उत्पाद (ट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	98	110	113
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	110	108
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	121	143	140
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	-	-	-

77. यह देखा गया है:

a. संयंत्र विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है और इसका उपयोग ट्रीटेड और अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका दोनों बनाने के लिए किया जाता है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका कुल उत्पादन का *** रही।

b. घरेलू उद्योग की क्षमता *** एमटी थी और उसने क्षमता को *** एमटी बढ़ाकर *** एमटी करने के लिए *** करोड़ रुपये के निवेश से डी-बॉटलनेकिंग की।

c. घरेलू उद्योग ने बोर्ड संकल्प की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि घरेलू उद्योग *** करोड़ रुपये के निवेश से *** एमटी क्षमता का एक नया ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित कर रहा है। संयंत्र *** तक परिचालन में आ जाएगा। वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के बाद, घरेलू उद्योग की सकल क्षमता लगभग *** एमटी हो जाएगी।

d. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास एक निश्चित स्तर की अनुपयोगित क्षमता अब भी विद्यमान है।

e. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

f. घरेलू उद्योग की 2022-23 के बाद कोई निर्यात बिक्री नहीं थी। घरेलू उद्योग केवल भारतीय बाजार में बिक्री कर रहा है।

b. बाजार हिस्सा

78. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, संबद्ध देश और अन्य देशों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	122	129
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकि	100	90	83	84

	त				
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	104	104	101

79. यह देखा गया है कि:

a. **घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2023-24 में बढ़ा और जांच अवधि में मामूली रूप से घटा।**

b. संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति अवधि के दौरान बढ़ा।

c. गैर-संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घटा है।

c. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

80. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर-पूर्व लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल के संबंध में की गई है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	79	74	75
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	90	81	78
कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	63	64	70
कर-पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	77	92	98

ब्याज-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	64	64	70
ब्याज-पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	77	92	98
नकद लाभ / हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	65	66	72
नकद लाभ / हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	78	94	101
निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	64	129	71

81. यह देखा गया है कि:

a. घरेलू उद्योग के लाभ 2023-24 में घटे, निरपेक्ष रूप में 23% और प्रति इकाई आधार पर 37%, और उसके बाद आंशिक रूप से सुधरे।

b. प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के साथ, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है।

c. नकद लाभ और ब्याज-पूर्व लाभ ने समान प्रवृत्ति दर्शाई है।

d. निवेश पर प्रतिफल 2024-25 में बढ़ा किंतु जांच अवधि में घटा। यह पूरी क्षति अवधि के दौरान धनात्मक बना रहा है।

e. घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान स्वस्थ बना रहा है।

82. घरेलू उद्योग ने फार्मा और गैर-फार्मा दोनों क्षेत्रों में घरेलू बाजार में अपनी लाभप्रदता की सूचना प्रदान की है, जो नीचे प्रस्तुत है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
कुल कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	63	64	70
फार्मा कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	79	86	92
गैर-फार्मा कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	53	49	56
निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	64	129	71
फार्मा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	74	154	83
गैर-फार्मा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	56	107	61

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता फार्मास्युटिकल क्षेत्र की तुलना में कम है। घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्र में वह मुख्यतः चीन के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करता है, जबकि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः चीन के अतिरिक्त अन्य देशों के निर्यातकों से है।

84. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम लाभप्रदता इस खंड में चीन से आयातों की उपस्थिति के साथ मेल खाती है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग को लाभकारी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाया हो सकता है, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर पाटित आयातों के संभावित प्रभाव का आकलन प्रतिस्पर्धा के विद्यमान स्तर और ऐसे आयातों के संभावित मूल्य प्रभावों को ध्यान में रखते हुए करना होगा।

d. माल-सूची

85. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच माल-सूची के संबंध में की गई है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
आरंभिक माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	122	71	43

86. **यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति अवधि के दौरान घटी है।**

e. वृद्धि

87. **नीचे दी गई तालिका वृद्धि संबंधी सूचना दर्शाती है।**

विवरण	**इकाई**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
उत्पादन	वर्ष-दर-वर्ष	8.70%	14.51%	1.46%
घरेलू बिक्री	वर्ष-दर-वर्ष	20.93%	18.59%	-2.33%
माल-सूची	वर्ष-दर-वर्ष	22.18%	-42.29%	-38.55%
लाभ/(हानि) रु./एमटी	वर्ष-दर-वर्ष	-36.54%	1.32%	8.89%

लाभ/(हानि) रु. लाख	वर्ष-दर-वर्ष	-23.26%	20.15%	6.35%
ब्याज और कर-पूर्व लाभ- रु. लाख	वर्ष-दर-वर्ष	-22.72%	19.46%	6.35%
नकद लाभ- रु. लाख	वर्ष-दर-वर्ष	-21.59%	20.41%	6.49%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	वर्ष-दर-वर्ष	-36.18%	102.77%	-45.11%

88. **यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, यद्यपि जांच अवधि में घरेलू बिक्री मामूली रूप से घटी। लाभप्रदता मानदंड 2023-24 में घटे और उसके बाद बढ़े हैं, यद्यपि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल जांच अवधि में घटा।**

f. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

89. **प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की है और *** एमटी क्षमता तथा *** करोड़ रुपये के निवेश वाला एक नया ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके अपनी क्षमता का और विस्तार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद रहा है। यह देखा गया है कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।**

g. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***

91. यह नोट किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या 2024-25 तक बढ़ी और जांच अवधि में घटी, किंतु आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी रही। वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता, प्रति दिन और प्रति कर्मचारी दोनों, क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।

h. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

92. घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि वह घरेलू बाजार में मूल्य निर्धारक नहीं है और अपनी कीमतों को आयात कीमतों के मानक पर तय करता है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात कीमत के तुलनीय है। गैर-फार्मा क्षेत्र के मामले में, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को चीन के आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों के मानक पर तय करता है। फार्मा क्षेत्र में कीमत गैर-फार्मा क्षेत्र की तुलना में अधिक है, क्योंकि फार्मा क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बेहतर उत्पाद विनिर्देशों की मांग की जाती है। फार्मा क्षेत्र में, घरेलू उद्योग चीन के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात कीमत की प्रतिस्पर्धा में अपना उत्पाद बेच रहा है।

93. नीचे दी गई तालिका चीन से पाटनरोधी शुल्क के बिना और सहित पहुंच कीमत, अन्य देशों से पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत दर्शाती है।

विवरण	इकाई	कुल	गैर-फार्मा	फार्मा
चीन				
आयात मात्रा	एमटी	1,381	1,181	199
चीन से पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क के बिना	रु./एमटी	3,33,870	3,23,459	3,95,615
चीन से पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क सहित	रु./एमटी	4,22,195	4,11,784	4,83,940
अन्य देश				
आयात मात्रा	एमटी	1,776	918	858
अन्य देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	6,20,303	5,78,563	6,32,068

शुद्ध बिक्री प्राप्ति	रु./एम टी	***	***	***

94. यह देखा गया है कि फार्मा क्षेत्र में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमतों से कम हैं, किंतु चीनी आयातों से बहुत अधिक हैं, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की कीमत गैर-चीनी आयातों की विद्यमान आयात कीमतों से अधिक स्तर पर निर्धारित नहीं कर रहा है। गैर-फार्मा क्षेत्र में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमत से कम है और लागू पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखने के बाद संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से लगभग 8% अधिक है। उपर्युक्त से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयातों की कीमतों के अनुरूप चलती हैं।

95. यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है और पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क ने यह सुनिश्चित किया है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई दमनकारी/अवनमनकारी प्रभाव न पड़े।

i. पाटन का परिमाण

96. जांच से यह दर्शित हुआ है कि पाटन मार्जिन धनात्मक है और न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामान का पाटन जारी है।

G.3.4 <u>निष्कर्ष</u>

97. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है: -

a. शुल्क प्रवृत्त रहने के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

b. चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

c. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना, दोनों ही स्थितियों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है; शुल्क के बिना मूल्य कटौती 50-60% है।

d. लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन या अवनमन नहीं किया है।

e. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी क्षमता बढ़ाई है। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता में *** एमटी की और वृद्धि करने की प्रक्रिया में है।

f. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

g. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है।

h. लागू शुल्क के साथ, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है।

98. प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति नहीं हुई है।

H. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

99. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की जांच मूल जांच में पहले ही की जा चुकी है, फिर भी प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया हो सकता है या योगदान देने की संभावना है।

a. <u>तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत</u>

100. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य, बेल्जियम, जापान और जर्मनी से आयात हुए हैं। इन आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, बेल्जियम, जापान और जर्मनी से निर्यात संबद्ध आयातों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हैं और कोरिया गणराज्य से आयात नगण्य हैं। अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं और चीन की तुलना में सारवान रूप से अधिक कीमत पर हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है। संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में गैर-संबद्ध देशों से आयात क्षति का संभावित कारण नहीं हैं। नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि में सभी स्रोतों से आयातों की जानकारी दर्शाती है।

देश	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
मात्रा एमटी में					
चीन	एमटी	770	960	1,300	1,381
कोरिया गणराज्य	एमटी	56	71	104	82
यूरोपीय संघ	एमटी	791	780	966	930
जापान	एमटी	683	737	680	762
सीआईएफ कीमत रु./एमटी में					
चीन	रु./एमटी	4,49,734	3,13,097	3,39,838	3,19,361
कोरिया गणराज्य	रु./एमटी	5,08,008	4,28,519	2,41,001	2,61,675
यूरोपीय संघ	रु./एमटी	6,57,434	6,35,661	6,13,253	6,42,431
जापान	रु./एमटी	5,20,979	4,76,069	4,65,133	4,70,394

b. <u>मांग में संकुचन</u>

101. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकती।

c. <u>खपत के पैटर्न में परिवर्तन</u>

102. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है।

d. <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं</u>

103. यह देखा गया है कि भारत में ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को संभावित क्षति में योगदान दे सकती थीं।

e. <u>उत्पादकता</u>

104. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं है।

f. <u>प्रौद्योगिकी का विकास</u>

105. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामान के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। अतः, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

g. <u>निर्यात निष्पादन</u>

106. घरेलू उद्योग ने 2022-23 के बाद संबद्ध सामान का निर्यात नहीं किया है। 2022-23 में निर्यात भी घरेलू बिक्री की मात्रा की तुलना में काफी नगण्य थे। क्षति विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू परिचालनों के संबंध में किया गया है। अतः, निर्यात निष्पादन क्षति का संभावित कारण नहीं है।

h. <u>कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

107. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामान के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता।

I. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

I.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. प्राधिकारी को संभावना के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले जांच अवधि के पश्चात की अवधि के घटनाक्रमों और संशोधित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

ii. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे निराधार हैं। संयुक्त अरब अमीरात से बीओपीपी फिल्म पर पाटनरोधी उपायों से संबंधित पाकिस्तान के विवाद (Pakistan-Anti-Dumping Measures on BOPP Film from UAE) में पैनल ने यह माना कि प्राधिकारी को "यह निर्धारित करना होगा कि क्षति का जारी रहना या पुनरावृत्ति संभावित है, न कि मात्र संभव, और यह निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, न कि अनुमान के आधार पर"।

I.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

109. घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो चीन के निर्यातक एक बार फिर भारतीय बाजार को पाटित आयातों से भर देंगे।

ii. पाटन और क्षति मार्जिन निरंतर सकारात्मक और महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

iii. चीन जन.गण. के निर्यातकों ने लागू शुल्क को आमेलित करके भारतीय बाजार में उत्पाद का निरंतर निर्यात किया है।

iv. यह तथ्य कि निर्यातक ऐसी प्रथाओं का सहारा ले रहे हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण है।

v. यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो चीनी निर्यातक आवेदक की बिक्री लागत से बहुत कम कीमतों पर आक्रामक रूप से पाटन शुरू कर देंगे, जिससे आवेदक को क्षति होगी।

vi. यदि आवेदक को इन कीमतों की बराबरी करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसका लाभ गिरकर हानि में बदल जाएगा।

vii. संबद्ध सामान की वैश्विक क्षमता का लगभग 43% चीन में है।

viii. वैकर केमी (झांगजियागांग साइट) कंपनी लिमिटेड 20 केटी प्रति वर्ष की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है और शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की क्षमता 2022 में 19 केटी थी।

ix. चीन फ्यूम्ड सिलिका का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, जिसके बाद जर्मनी का स्थान है। भारत, अमेरिका और वियतनाम के साथ, फ्यूम्ड सिलिका के शीर्ष आयातकों में से एक है।

x. चीन के उत्पादक अल्प-उपयोगित क्षमताओं से ग्रस्त हैं।

xi. यह अनुमान है कि 2027 से पहले चीन में लगभग 137.8 केटी प्रति वर्ष की क्षमता वृद्धि होगी।

xii. संबद्ध देश में मांग उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं की तुलना में बहुत कम होने से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि चीनी उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।

xiii. संबद्ध देश में क्षमता चीन की मांग से लगभग दोगुनी होगी, और निर्यात योग्य क्षमता भारत की मांग से 25 गुना से अधिक होगी।

xiv. संबद्ध देश के उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं से भी ग्रस्त हैं। निष्क्रिय क्षमताएं भारत की मांग की 19 गुना हैं।

xv. लागू शुल्क के बावजूद, चीन जन.गण. से कुल निर्यातों में भारत का हिस्सा महत्वपूर्ण है।

I.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षा तथा नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार सारवान क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या विद्यमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

111. क्षति की संभावना संबंधी अभ्यावेदन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत

सूर्यास्त समीक्षा, अपनी प्रकृति से ही, इस बात की भविष्योन्मुखी जांच है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, और यह मूल जांच में क्षति के निर्धारण से भिन्न है। अनुबंध-II(vii) में सूचीबद्ध कारकों को इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन के रूप में माना गया है। तथापि, ये प्राधिकारी द्वारा जांचे गए मानदंडों की संपूर्ण सूची नहीं हैं।

112. जांच अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों की जांच से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बारह महीने की जांच अवधि, पूर्ववर्ती तीन वर्षों से संबंधित आंकड़ों के साथ पठित, ऐसा आकलन करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है। हितबद्ध पक्षकारों ने जांच अवधि के पश्चात की अवधि का ऐसा कोई विशिष्ट आंकड़ा या घटनाक्रम भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा है जिसका संभावना विश्लेषण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

113. ऐसा संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धतियां उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है, अर्थात् निम्नलिखित। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि ये मानदंड ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को सारवान क्षति के खतरे का विश्लेषण करने के लिए हैं जहां कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान सारवान क्षति नहीं हुई है। अतः, इन मार्गदर्शक कारकों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार करना और उन्हें लागू करना अपेक्षित है कि क्षति अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लागू था और जांच का प्रयोजन उस संभावित स्थिति का पता लगाना है जहां पाटनरोधी शुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जाता।

i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना दर्शाती है।
ii. निर्यातक की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता, या क्षमता में आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती है।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण अवनमनकारी या दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और जिनसे और अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी; और

iv. जांच के अधीन वस्तु की माल-सूची।

114. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त कारकों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना है, और यदि हां, तो क्या उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत जानकारी, तथा घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई प्रासंगिक जानकारी की जांच की है।

a. <u>पाटन का जारी रहना</u>

115. यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन निरंतर सकारात्मक और महत्वपूर्ण बना हुआ है। वर्तमान समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक है। लागू उपाय के बावजूद बढ़े हुए मार्जिन पर पाटन का जारी रहना यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है।

उत्पादक	**मूल**	**सूर्यास्त समीक्षा**
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	10-20%	50-60%
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	50-60%	130-140%

b. <u>उत्पाद के आयातों में वृद्धि</u>

116. नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति दर्शाती है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच**

					अवधि
चीन	एमटी	770	960	1,300	1,381

117. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति अवधि के दौरान बढ़े हैं और जांच अवधि में सर्वाधिक थे। लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि यह दर्शाती है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आयातों की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है।

c. <u>विद्यमान पाटनरोधी शुल्क का आमेलन</u>

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम जांच परिणाम सं. 7/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 11 अगस्त 2025 के माध्यम से संपन्न आमेलन-रोधी जांच में यह पाया गया था कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने लागू पाटनरोधी शुल्क को आमेलित कर लिया था, जिसके अनुसरण में शुल्क की मात्रा बढ़ाई गई थी। भारत में अपनी बिक्री बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निर्यातक द्वारा शुल्क का आमेलन, निर्यातक के लिए भारतीय बाजार के महत्व और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में उसके संभावित मूल्य-निर्धारण व्यवहार का संकेतक है।

d. <u>क्या आयात कीमत से घरेलू उद्योग की कीमतों के दमन/अवनमन की संभावना है।</u>

119. नीचे दी गई तालिका जांच अवधि में चीन से आयातों की पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दर्शाती है।

उत्पादक	**इकाई**	**मूल्य**
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	रु./एमटी	***
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	रु./एमटी	***
आयातों की औसत पहुंच कीमत	रु./एमटी	3,33,870
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	रु./एमटी	***
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./एमटी	***

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की औसत पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक है। तथापि, दोनों प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड और शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर दर्शाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड से आयात वर्तमान में शून्य पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। इसके विपरीत, शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत, दोनों से कम है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर, ऐसे निम्न मूल्य स्तरों पर आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाल सकते हैं और उसकी मूल्य प्राप्ति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

121. नीचे दी गई तालिका शुल्क के बिना पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की कीमतों पर उसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, केवल गैर-फार्मा क्षेत्र में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार किया गया है, क्योंकि संबद्ध आयात मुख्यतः गैर-फार्मा ग्रेड के हैं। वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत को अपवर्जित किया गया है, क्योंकि ऐसे आयात वर्तमान में शून्य पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं और शुल्क की समाप्ति पर उनकी पहुंच कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विवरण	**इकाई**	**वास्तविक निष्पादन**	**संभावित निष्पादन**
पहुंच कीमत (वैकर को छोड़कर)	रु./एम टी	2,71,267	2,71,267
बिक्री लागत	रु./एम टी	***	***
बिक्री कीमत	रु./एम टी	***	***
लाभ/हानि	रु./एम टी	***	***

लाभ/हानि	रु. लाख	***	***
नकद लाभ/हानि	रु. लाख	***	***
ब्याज और कर-पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***

122. यह देखा गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों की पहुंच कीमत की बराबरी करनी पड़े, तो गैर-फार्मा क्षेत्र में उसका रु. *** लाख का लाभ रु. *** लाख की हानि में बदल जाएगा। समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी।

e. <u>चीन में अल्प-उपयोगित क्षमता</u>

123. घरेलू उद्योग ने चीनी बाजार के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो दर्शाती है कि 2022 में संबद्ध देश में फ्यूम्ड सिलिका की क्षमता 211 केटी प्रति वर्ष थी जबकि उत्पादन केवल 140 केटी था, जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास बड़ी, अल्प-उपयोगित क्षमताएं हैं जिनका उपयोग भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में दी गई जानकारी दर्शाती है।

इकाई: केटी

विवरण	मात्रा
क्षमता	211
वास्तविक उत्पादन	140
क्षमता उपयोग	66%
चीन में मांग	121
निर्यात	18
भारत में क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हुए संभावित उत्पादन	190
वर्तमान क्षमता से अतिरिक्त संभव उत्पादन	50
भारतीय मांग	6.44

124. यह देखा गया है कि चीन में महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताएं हैं। यह भी देखा गया है कि इस अवधि के दौरान चीन से फ्यूम्ड सिलिका का कुल निर्यात 18.6 केटी था जबकि घरेलू खपत केवल 121 केटी थी और चीन की निष्क्रिय क्षमताएं अतिरिक्त 50 केटी

तक उत्पादन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, चीन जन.गण. में क्षमता 2027 से पहले 137.8 केटी प्रति वर्ष बढ़ने की आशा है।

125. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, फ्यूम्ड सिलिका की वैश्विक क्षमता 491 केटी थी, जिसमें से 211 केटी चीन में थी। फ्यूम्ड सिलिका की वैश्विक क्षमता का लगभग 43% चीन में है, जहां लगभग 21 उत्पादक हैं।

इकाई: केटी

विवरण	क्षमता
वैश्विक क्षमता	**491**
अमेरिका में क्षमता	73
यूरोप में क्षमता	105
चीन में क्षमता	211
एशिया में क्षमता (चीन को छोड़कर)	102

126. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी की तुलना चीन के प्रतिभागी उत्पादकों से भी की गई है।

विवरण	**इकाई**	**शेडोंग**	**वैकर**
क्षमता	एमटी	***	***
उत्पादन	एमटी	***	***
निष्क्रिय क्षमता	एमटी	***	***
निष्क्रिय क्षमता	%	***	***
निष्क्रिय क्षमता	सीमा	15-25%	5-10%

127. यह देखा गया है कि दोनों उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन कर रहे हैं।

f. <u>चीन में अधिशेष क्षमताएं।</u>

128. घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि संबद्ध देश में मांग उपलब्ध क्षमताओं की तुलना में बहुत कम है। चीनी उत्पादक/निर्यातक निर्यातोन्मुख हैं और यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो वे अपनी अधिशेष क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए करेंगे। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी दर्शाती है।

इकाई: केटी

विवरण	मात्रा
क्षमता	349
चीन जन.गण. में मांग	187
निर्यात के लिए अभिप्रेत क्षमता	162
भारत में मांग (2025 में)	6.44
भारतीय मांग के सापेक्ष निर्यात योग्य क्षमता	2516%

129. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, संबद्ध देश में क्षमता चीन की मांग से लगभग दोगुनी होगी, और निर्यात योग्य क्षमता भारत की मांग से 25 गुना से अधिक होगी।

130. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी की तुलना चीन के प्रतिभागी उत्पादकों से भी की गई है।

विवरण	**इकाई**	**शेडोंग**	**वैकर**
क्षमता	एमटी	***	***
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***
निर्यात बिक्री (कुल)	एमटी	***	***
अधिशेष क्षमता (क्षमता-घरेलू बिक्री)	एमटी	***	***
अधिशेष क्षमता (क्षमता-घरेलू बिक्री)	%	***	***
निर्यातोन्मुखता (निर्यात/उत्पादन)	%	***	***

निर्यातोन्मुखता (निर्यात/उत्पादन)	सीमा	10-20	10-20%

131. यह देखा गया है कि दोनों प्रतिभागी उत्पादकों के मामले में, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात परिचालनों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

g. <u>तीसरे देश विश्लेषण</u>

132. प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दी गई तीसरे देशों को निर्यात संबंधी जानकारी की जांच की है। तीसरे देशों को निर्यात की कीमतों, सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित देखा गया है:

<u>सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात</u>

133. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरण	**इकाई**	**शेडोंग**	**वैकर**
तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को पाटित निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को पाटित निर्यात	%	95-100%	95-100%

134. यह देखा गया है कि शेडोंग द्वारा तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से 95-100% सामान्य मूल्य से कम है। वैकर के मामले में, लगभग पूरी मात्रा (लगभग 100%) सामान्य मूल्य से कम है।

<u>मूल्य आकर्षण</u>

135. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात भारत को निर्यात की कीमतों से कम कीमत पर हैं और क्या उपायों की समाप्ति की स्थिति में उत्पादकों के पास तीसरे देशों को इन निर्यातों

को भारतीय बाजार की ओर विचलित (डायवर्ट) करने का कोई प्रोत्साहन होगा। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरण	इकाई	शेडोंग	वैकर
तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
भारत की कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	एमटी	***	***
भारत की कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	%	45-55%	55-65%

136. यह देखा गया है कि शेडोंग द्वारा तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से 45-55% भारत को निर्यात मूल्य से कम है। वैकर के मामले में, यह देखा गया है कि 55-65% भारत को निर्यात मूल्य से कम है। अतः यह माना जाता है कि उपायों की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर निर्यातों के विचलन (डायवर्जन) की संभावना है।

<u>क्षतिरहित कीमत से कम पर निर्यात</u>

137. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम हैं और क्या उनका विचलन घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक होगा। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरण	इकाई	शेडोंग	वैकर
तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को कुल क्षतिकारक निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात	%	95-100%	35-40%

138. यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से मात्रा के अनुसार लगभग 95-100% ऐसी कीमतों पर है जो लागू सीमा शुल्क जोड़ने के बाद घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम हैं। वैकर समूह के मामले में, तीसरे देशों को निर्यातों का मात्रा के अनुसार लगभग 35-40% ऐसी कीमतों पर है। यह देखा गया है कि यदि तीसरे देशों को निर्यात भारत की ओर

विचलित (डायवर्ट) किए जाते हैं, तो इनका एक पर्याप्त भाग क्षतिकारक कीमतों पर होगा।

J. क्षति मार्जिन का परिमाण

139. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III, यथासंशोधित, में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अपवर्जित किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत शुद्ध अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया।

140. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	**एनआईपी**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**		
	डॉ./एमटी	**डॉ./एमटी**	**डॉ./एमटी**	**%**	**सीमा**
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक

(उत्पादक) के माध्यम से वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)					
अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	50-60%

K. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

K.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन।

141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. जांच अवधि के दौरान आयातों में गिरावट और आयात कीमत में वृद्धि से केवल अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं और एमएसएमई की लागत में वृद्धि होगी।

ii. घरेलू उद्योग की प्रभाव गणना गलत है और इसमें प्रमुख प्रयोक्ता खंड छूट गए हैं। जांच अवधि के पश्चात की अवधि में, जब कीमतें बढ़ गई हैं, शुल्क के जारी रहने से लागत में 24.37% की वृद्धि होगी।

iii. घरेलू उद्योग वर्तमान में एकमात्र उत्पादक है। पाटनरोधी संरक्षण के जारी रहने से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी दबाव कम होगा और एकल घरेलू आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता बढ़ेगी।

iv. संबद्ध सामान एक महत्वपूर्ण इनपुट है जिसका उपयोग फार्मास्युटिकल्स, खाद्य उत्पाद, पेंट, कोटिंग, स्याही, एडहेसिव, सीलेंट, सिलिकॉन पॉलिमर, पॉलिएस्टर रेजिन, सौंदर्य प्रसाधन, बैटरी जेल और निर्माण रसायन सहित अनुप्रवाह उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।

v. विचाराधीन उत्पाद के आयात पहले से ही विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त 4.13% के मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और समाज कल्याण अधिभार (मूल सीमा शुल्क का 10%) के अधीन हैं।

vi. विद्यमान पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना व्यापक लोकहित में नहीं होगा।

vii. घरेलू उद्योग के भविष्य के निवेश निर्णयों की रक्षा के लिए मात्र पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जा सकता।

viii. एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के नाते, संरक्षण के जारी रहने से प्रतिस्पर्धा कम होगी और एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता बढ़ेगी। तदनुसार, विद्यमान पाटनरोधी शुल्क ने अपना उपचारात्मक प्रयोजन पूरा कर लिया है और उसे समाप्त हो जाने दिया जाना चाहिए।

K.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अभ्यावेदन।

142. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत न्यूनतम है और इसका अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ii. इन अंतिम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने का प्रभाव 1% से कम है।

iii. शुल्क पिछले पांच वर्षों से लागू हैं और उपायों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv. आवेदक द्वारा स्थापित संयंत्र का उद्देश्य आयातों पर निर्भरता समाप्त करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

v. लागू शुल्क ने घरेलू उद्योग को बढ़ने और भारतीय बाजार में लाभप्रद कीमतों पर उत्पाद बेचने में सक्षम बनाया है। घरेलू उद्योग देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अर्जित लाभ का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने में कर रहा है।

vi. घरेलू उद्योग देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डी-बॉटलनेकिंग कर रहा है और क्षमता वृद्धि के लिए 200 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।

vii. यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो आवेदक द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेशों को गंभीर हानि होगी।

viii. शुल्क के जारी रहने से बाजार में उचित स्थिति बनेगी, और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा।

ix. यदि शुल्क जारी भी रखे जाते हैं, तो भी प्रयोक्ताओं के पास आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत हैं।

K.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

143. यह जांच की गई कि क्या पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की सिफारिश लोकहित के विरुद्ध होगी। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी तथा घरेलू

उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने पर आधारित है।

144. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए शुरुआत अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अंतर-विनिमेयता, उपभोक्ताओं की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, तथा पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूलन को त्वरित या विलंबित करने की संभावना वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।

145. पाटनरोधी उपायों का प्रयोजन, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। मूल जांच में घरेलू उद्योग वित्तीय रूप से कठिनाई में था, और पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण ने घरेलू उद्योग को अस्तित्व बनाए रखने और बढ़ने में सक्षम बनाया था। अतः, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग के हित में था। उपर्युक्त जांच दर्शाती है कि लागू शुल्क के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। अतः, पाटनरोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण घरेलू उद्योग के हित में होगा।

146. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते। आयात उचित कीमतों पर जारी रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बनाए रखा जाता है।

147. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क का निम्नलिखित

प्रभाव प्रस्तुत किया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने शुल्क के प्रभाव की अपनी गणना में 50 रु. प्रति किग्रा के पाटनरोधी शुल्क का दावा किया था। तथापि, चूंकि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क 1,296 यूएसडॉ. प्रति एमटी (या 112 रु. प्रति किग्रा) है, इसलिए प्रभाव का पुनः मात्राकरण किया गया है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र. सं.	उत्पाद		फार्मा	यूपीआर	पेंट	खाद्य - एंटी-केकिंग एजेंट
1	मान लिया गया उत्पाद		पैरासिटामोल (डोलो-650 मिग्रा) 1 टैबलेट का भार 10 ग्राम	रेजिन - जेल कोट	इनेमल पेंट (हाई ग्लॉस)	गरम मसाला / करी पाउडर
2	औसत एफएस खपत	A	1%	3%	2%	2%
3	उत्पाद की इकाई, किग्रा	B	0.01	1.00	1.00	1.00
4	उत्पाद की कीमत रु./किग्रा	C	2.00	168.00	350.00	450.00
5	औसत एफएस कीमत रु./किग्रा	D	378.00	309.00	309.00	309.00
6	फ्यूम्ड सिलिका लागत रु./किग्रा	E = A∗B∗D	0.04	9.27	6.18	6.18
7	उत्पाद की कुल कीमत में फ्यूम्ड सिलिका लागत	F = E/C	2%	6%	2%	1%
8	एडीडी रु./किग्रा (अनुमानित)	G	112.00	112.00	112.00	112.00
9	एडीडी का प्रभाव रु./किग्रा	H =A∗B∗G	0.01	3.36	2.24	2.24
10	एडीडी का प्रभाव %	I = H/C	1%	2%	1%	0%

148. यह देखा गया है कि अनुप्रवाह उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने का प्रभाव नगण्य है। वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो संबद्ध देश के एक प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है, के अतिरिक्त संबद्ध सामान के किसी प्रयोक्ता ने

वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, और किसी प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रतिकूल प्रभाव को मात्राकृत करने वाली सत्यापन योग्य सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

149. इन अभ्यावेदनों के संबंध में कि घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है और शुल्क के जारी रहने से एकल घरेलू आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता बढ़ेगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता और केवल पाटित कीमतों का समाधान करता है। अन्य देशों से आयात भारत में मांग के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति करते हैं, और प्रवृत्त शुल्क के बावजूद संबद्ध आयात भारतीय बाजार में निरंतर प्रवेश करते रहे हैं और बढ़े हैं। घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से कम है, और इसलिए प्रयोक्ताओं को अनेक स्रोतों से आयात की पहुंच निरंतर उपलब्ध रहेगी। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मोटे तौर पर स्थिर रहा है, और शेष की पूर्ति आयातों से की जाती रही है।

150. यह भी माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने ने भारत में घरेलू उत्पादन क्षमता के विकास और विस्तार में योगदान दिया है। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान पहले ही लगभग *** एमटी का क्षमता विस्तार किया है, अक्टूबर 2026 में लगभग *** एमटी की एक और डी-बॉटलनेकिंग चालू की है, और लगभग *** एमटी का एक ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिसके *** तक परिचालन में आने की आशा है। ऐसी क्षमता वृद्धियों से घरेलू स्रोतों से उत्पाद की उपलब्धता बढ़ने और आयात पर निर्भरता कम होने की आशा है। परिणामस्वरूप, बढ़ी हुई घरेलू उपलब्धता ने संबद्ध सामान के आयात से जुड़े विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी लाने में भी योगदान दिया है। इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई क्षमता वृद्धियां घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने में पाटनरोधी उपाय के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई और नियोजित क्षमता वृद्धियों से देश में मांग-आपूर्ति के अंतर में कमी आने की आशा है।

L. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

151. जांच के आवश्यक तथ्य दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से

प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और निम्नलिखित खंड में उनका समाधान किया गया है।

L.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

152. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

i. प्राधिकारी ने दोनों ग्रेडों के बीच कीमतों में पर्याप्त अंतर को स्वीकार किया है और घरेलू उद्योग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि फार्मास्युटिकल खंड में उसकी लाभप्रदता गैर-फार्मास्युटिकल खंड की तुलना में कहीं बेहतर है। जब ऐसे अंतर स्वीकार किए गए हैं, तो प्राधिकारी ने फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन के अनुरोध को अस्वीकार करने में भूल की है।

ii. प्राधिकारी ने जांच अवधि के पश्चात के घटनाक्रमों की पर्याप्त जांच नहीं की है। शेडोंग ने अभ्यावेदन किया था कि आमेलन-रोधी जांच में जांची गई अवधि के बाद उसके निर्यात मूल्यों में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दी है। यह टिप्पणी कि जांच अवधि के पश्चात की कोई विशिष्ट सूचना या घटनाक्रम रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया, सही नहीं है।

iii. निरपेक्ष आयात मात्रा में मात्र वृद्धि यह स्थापित नहीं कर सकती कि ऐसे आयात मौजूदा शुल्कों की समाप्ति पर क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं। तदनुसार, आयात में वृद्धि को क्षति की संभावना के निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

iv. निर्यातक देश में अधिशेष क्षमता का मात्र अस्तित्व यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी क्षमता अनिवार्य रूप से भारत की ओर निर्देशित होगी। प्राधिकारी से अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता, प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मांग, वास्तविक निर्यात प्रवृत्तियों और भारत की ओर निर्यातों के विचलन (डायवर्जन) की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच करना भी अपेक्षित है।

v. घरेलू उद्योग नवंबर 2021 से पाटनरोधी संरक्षण का लाभ उठा रहा है और उसने अपने उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में पर्याप्त सुधार किया है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति नहीं हुई है। पाटनरोधी शुल्क पाटित आयातों से हुई क्षति के उपचार के लिए अभिप्रेत हैं और इनका

उद्देश्य स्थायी संरक्षण प्रदान करना या घरेलू उद्योग के भावी निवेशों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की गारंटी देना नहीं है।

vi. अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी को इस बात के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता कि शुल्कों के जारी रहने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। प्रयोक्ताओं की भागीदारी का अभाव प्राधिकारी को अनुप्रवाह उद्योगों पर शुल्कों के प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता।

vii. जय केम मार्केटिंग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश न्यूनतम आयात मूल्य के स्वरूप में की जाए। व्यापारी ने दावा किया है कि चूंकि उपायों का जारी रहना संभावना पर आधारित है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप को संशोधित कर संदर्भ मूल्य किया जा सकता है, जिससे उचित कीमत वाले आयात शुल्क-मुक्त रहेंगे और यह सुनिश्चित होगा कि एमएसएमई को हानि न हो।

viii. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि वैकर ने गैर-फार्मा ग्रेड सामग्री का निर्यात किया है और उसकी कीमतें दोनों ग्रेडों में अधिक हैं। तथापि, वैकर ने भारत को केवल गैर-फार्मा ग्रेड का ही निर्यात किया है।

L.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

153. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -

i. संभावना का निर्णय देश-व्यापी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उत्पादक-दर-उत्पादक। उत्पाद की आपूर्ति कर सकने वाले 10 से अधिक उत्पादकों में से केवल 2 चीनी उत्पादकों ने भाग लिया है। अपीलीय निकाय ने अमेरिका - संक्षारण-रोधी इस्पात सूर्यास्त समीक्षा (US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review, WT/DS244/AB/R, पैरा 149) में यह अभिनिर्धारित किया कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 कंपनी-विशिष्ट संभावना निष्कर्षों की अपेक्षा नहीं करता।

ii. फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेड एक ही प्रक्रिया से निकलते हैं; फार्मा ग्रेड केवल वह उत्पादन है जिसका परीक्षण कर उसे अशुद्धि सीमाओं के भीतर पाया गया है। प्राधिकारी अलग-अलग पीसीएन केवल वहीं निर्धारित करते हैं जहां लागत में अंतर होता है (सामान्यतः 5% से अधिक)। फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए अशुद्धि सीमाएं अपरिवर्तनीय हैं, उत्पाद एक मामूली लागत मद है, और क्रेता

मुख्यतः अर्हताप्राप्त यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करते हैं, इसलिए फार्मा कीमतें यूरोपीय कीमतों का अनुसरण करती हैं।

iii. पीसीएन निर्धारित करने का जांच के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेडोंग ने दोनों ग्रेडों का निर्यात नहीं किया है, अतः उसका निर्यात मूल्य अप्रभावित है। सामान्य मूल्य जापान से आयातों पर आधारित है, जिनमें कोई फार्मा ग्रेड नहीं था। घरेलू उद्योग कोई लागत अंतर नहीं दर्शाता, अतः एनआईपी अप्रभावित है।

iv. जांच अवधि में मांग *** एमटी की क्षमता के मुकाबले *** एमटी थी; वैकर और गैर-चीनी आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग के लिए खुला बाजार *** एमटी है। विस्तार के साथ, भारत शुल्क-भुगतान वाले और गैर-संबद्ध आयातों का स्थान ले सकता है, निर्यात कर सकता है, और उत्पाद में आत्मनिर्भर बन सकता है।

v. यदि घरेलू उद्योग को वैकर को छोड़कर 2,71,267 रु./एमटी की पहुंच कीमत की बराबरी करनी पड़े, तो वह लाभ से हानि और नकद हानि की स्थिति में चला जाएगा। नया संयंत्र भी उत्पादन शुरू होने के दिन से ही हानि का सामना करेगा।

vi. घरेलू उद्योग ने शुल्क का उपयोग अधिक कीमत वसूलने के लिए नहीं किया है और उसने दोनों खंडों में अपने उत्पाद की कीमत गैर-संबद्ध आयातों से कम रखी है। घरेलू उद्योग गैर-फार्मा में चीन के और फार्मा में गैर-संबद्ध आयातों के बेंचमार्क के अनुसार कीमत निर्धारित करता है।

L.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

154. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की जांच की है। अधिकांश टिप्पणियां जांच में पहले किए गए अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी जांच और समाधान इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में पहले ही किया जा चुका है। नए सिरे से उठाए गए या आगे जांच की अपेक्षा रखने वाले मुद्दों का समाधान नीचे किया गया है। वैकर समूह की टिप्पणी के संबंध में, पैरा 16 की टिप्पणी को सुधार दिया गया है, और पाटन मार्जिन तालिका, क्षति मार्जिन तालिका और शुल्क तालिका में उत्पादक और निर्यातक के नाम सही कर दिए गए हैं।

155. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणी की है कि दोनों ग्रेडों के बीच कीमतों और लाभप्रदता में पर्याप्त अंतर के बावजूद, प्राधिकारी ने फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन के अनुरोध को गलत रूप से अस्वीकार कर दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल कीमत का अंतर पीसीएन पद्धति को उचित नहीं ठहराता, क्योंकि ग्रेडों के बीच कीमत में भिन्नता उत्पादन लागत से परे कारकों पर निर्भर करती है। तकनीकी और फार्मा ग्रेड बिल्कुल एक ही विनिर्माण प्रक्रिया साझा करते हैं और उत्पादन के बाद कोई अतिरिक्त परिशोधन नहीं होता; ग्रेड केवल उत्पादन के बाद अशुद्धि स्तरों के परीक्षण और मात्राकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (फार्मा ग्रेड के लिए कम अशुद्धियां अपेक्षित हैं)। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अधिकांश फार्मा ग्रेड आयात यूरोपीय संघ से आते हैं। चीन के उत्तरदाता उत्पादकों ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेडों का निर्यात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि पीसीएन पद्धति अपनाने से वर्तमान मामले में परिणाम नहीं बदलेगा। प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि दोनों ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग की लागत संरचना पर आधारित है और इसलिए पीसीएन पद्धति निर्धारित करने का क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, सामान्य मूल्य जापान से आयातों पर आधारित है जो केवल गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड के हैं और इसलिए पीसीएन पद्धति निर्धारित करने का पाटन मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः विभिन्न ग्रेडों के निर्यात मूल्य को अलग-अलग करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और उत्पादों को एक या अलग-अलग पीसीएन के रूप में माने जाने पर परिणामी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

156. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की इन टिप्पणियों के संबंध में कि आमेलन-रोधी जांच की जांच अवधि (1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024) के बाद उसके निर्यात मूल्यों में वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की जांच अवधि (1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025) आमेलन-रोधी जांच की अवधि के बाद की है, और वर्तमान जांच की क्षति अवधि बीच की अवधि को कवर करती है। इसलिए आमेलन-रोधी जांच के बाद निर्यातक के मूल्य निर्धारण को पहले ही ध्यान में रखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू

उद्योग को निरंतर क्षति नहीं पाई गई, निर्यातक ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि जांच अवधि के पश्चात के आंकड़ों के विश्लेषण से जांच के किसी सारवान तथ्य या निष्कर्ष में किस प्रकार परिवर्तन होगा।

157. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस टिप्पणी के संबंध में कि निरपेक्ष आयात मात्रा में वृद्धि और अधिशेष क्षमता क्षति की संभावना या निर्यात विचलन के अपर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि इन मापदंडों का मूल्यांकन अलग-थलग नहीं किया गया था। घरेलू उत्पादन और कुल भारतीय खपत दोनों के सापेक्ष आयात बढ़े हैं। उत्तरदाता उत्पादकों के पास निष्क्रिय उत्पादन क्षमताएं हैं, और तीसरे देशों को निर्यात के आंकड़े दर्शाते हैं कि शेडोंग के तीसरे देशों को 95-100% निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं, जिनमें से 45-55% की कीमत भारत को उसके निर्यात से भी कम है। चूंकि शेडोंग से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए उपायों की समाप्ति की स्थिति में निरंतर कम कीमत वाले आयात घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर निर्यात विचलन की स्पष्ट संभावना है।

158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग नवंबर 2021 से पाटनरोधी संरक्षण का लाभ उठा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति के अभाव का निष्कर्ष निकाला है। तथापि, निरंतर क्षति का अभाव स्वयं पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का ही परिणाम हो सकता है और यह अपने आप में यह स्थापित नहीं करता कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है। मात्र यह तथ्य कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों में सुधार दर्ज हुआ, शुल्क हटाने का औचित्य नहीं है। यह माना जाता है कि यह सुधार प्रवृत्त उपायों के कारण है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर, ऐसे निम्न कीमत स्तरों पर आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर नीचे की

ओर दबाव डालेंगे और उसकी मूल्य प्राप्ति तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। प्राधिकारी ने ऊपर घरेलू उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रतिकूल प्रभाव की जांच पहले ही कर ली है, जो दर्शाती है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को वित्तीय और नकद हानि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने अपनी पूर्ण, चालू और नियोजित क्षमता वृद्धियों के बारे में सूचना भी रिकॉर्ड पर रखी है, जिनकी व्यवहार्यता शुल्क की समाप्ति की स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

159. हितबद्ध पक्षकारों की इन टिप्पणियों पर कि उपायों को संशोधित कर संदर्भ मूल्य किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे पाटन के जारी रहने और/या क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपायों के जारी रहने की सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रवृत्त शुल्क की मात्रा का पुनः मात्राकरण करना या उसके स्वरूप में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होगा।

160. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी को इस बात के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता कि शुल्कों के जारी रहने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-भागीदारी को अलग-थलग नहीं देखा गया है। तथापि, यह तथ्य कि प्रयोक्ताओं ने भाग नहीं लिया है, घरेलू उद्योग के इस दावे को और पुष्ट करता है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत न्यूनतम है और शुल्क का अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए तथ्यों का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी स्थिति में, अनुप्रवाह उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की गई है और यह कम पाया गया है। यह भी माना जाता है कि लोकहित का विश्लेषण केवल प्रयोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है और इसमें घरेलू उत्पादकों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि प्रवृत्त शुल्कों ने घरेलू उद्योग को विकसित होने का अवसर दिया है। घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रु. के पूंजी निवेश से अपनी क्षमता *** एमटी से बढ़ाकर *** एमटी करने के लिए पहले ही डी-बॉटलनेकिंग की है। घरेलू उद्योग ने हाल ही में एक और डी-बॉटलनेकिंग की है, जिससे उसकी क्षमता *** एमटी बढ़ी है और इस डी-बॉटलनेकिंग में लगभग *** करोड़ रु. का निवेश किया है। घरेलू उद्योग अब ***

एमटी की क्षमता और *** करोड़ रु. के निवेश के साथ विचाराधीन उत्पाद के लिए एक नई उत्पादन लाइन स्थापित कर रहा है।

M. निष्कर्ष

161. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अभ्यावेदनों और ऊपर दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा जांच अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23 के साथ पढ़ते हुए यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या चीन जन.गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" के आयात पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

ii. प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाया जाना अपेक्षित नहीं था।

iii. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति की धारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दाखिल नहीं की। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत जापान से आयात मूल्य के आधार पर किया गया है, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से आयात मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है, जो वर्तमान जांच अवधि में गैर-फार्मा उपयोग के लिए उत्पाद के आयात से संबंधित था।

iv. जांच से चीन से महत्वपूर्ण पाटन का अस्तित्व प्रकट हुआ है। प्राधिकारी ने वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के मामले में पाटन मार्जिन 50-60%, शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड के मामले में 130-140% और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए 150-160% निर्धारित किया है।

v. शुल्क प्रवृत्त रहने के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी। मांग जांच अवधि में सर्वाधिक थी। चीन जन.गण. से आयात की मात्रा क्षति अवधि में बढ़ी है और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

vi. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। यह देखा गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों की पहुंच कीमत की बराबरी करनी पड़े, तो उसका लाभ हानि में बदल जाएगा, और घरेलू उद्योग को नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ेगा।

vii. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री क्षति अवधि में बढ़े हैं। घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों में भी क्षति अवधि में सुधार हुआ है। प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है।

viii. प्रवृत्त उपाय के बावजूद बढ़े हुए मार्जिन पर पाटन का जारी रहना यह स्थापित करता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है। मूल जांच की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन दोनों बढ़े हैं।

ix. संबद्ध देश के उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन कर रहे हैं, और उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात परिचालनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग स्तर पर, चीन जन.गण. में उसकी वर्तमान क्षमता से संभव अतिरिक्त उत्पादन भारत में मांग का लगभग 8 गुना है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, और यदि घरेलू उद्योग ऐसी समाप्ति के बावजूद अपनी कीमतें बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो चीनी उत्पादक संपूर्ण भारतीय मांग को अपने कब्जे में लेने में समर्थ हैं।

x. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड के मामले में, उसकी क्षमता का 15-25% निष्क्रिय है और उसके उत्पादन का 10-20% निर्यात किया जाता है। भारत में उत्पाद की मांग को देखते हुए यह मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।

xi. दोनों प्रतिभागी उत्पादकों के तीसरे देशों को निर्यात बड़े पैमाने पर सामान्य मूल्य से कम हैं, और ऐसे निर्यातों का एक पर्याप्त भाग भारत को उनके निर्यात मूल्य से कम और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है।

xii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि इस स्तर पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

xiii. अनुप्रवाह उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0% से 2% के स्तर पर न्यूनतम पाया गया है।

xiv. शुल्क ने घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने और देश में बढ़ती मांग को पूरा करने का अवसर दिया है। घरेलू उद्योग अपनी आय को कुल *** एमटी की तीन परियोजनाओं में पुनर्निवेशित कर रहा है। जहां घरेलू उद्योग ने पहले ही दो क्षमता डी-बॉटलनेकिंग की हैं, वहीं वह अब *** एमटी क्षमता के एक नए ग्रीनफील्ड संयंत्र में निवेश कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्रतिबद्ध निवेश महत्वपूर्ण हैं और देश में इन नए तथा मौजूदा निवेशों की रक्षा के लिए अनुचित कीमत वाले पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के रूप में समान अवसर आवश्यक है।

N. सिफारिश

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचित किया गया और उन्हें जांच के अधीन मामलों, जिनमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना तथा भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल हैं, पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। सूर्यास्त समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का पांच वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहना अपेक्षित है।

163. चूंकि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपायों के जारी रहने की सिफारिश की है, इसलिए प्राधिकारी प्रवृत्त शुल्क की मात्रा का पुनः मात्राकरण करना उपयुक्त नहीं मानते। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम सं. 6/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2021 द्वारा अनुशंसित और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर 2021 द्वारा लगाए गए निश्चित पाटनरोधी शुल्क, जिसे अंतिम जांच परिणाम सं. 7/05/2025-

डीजीटीआर दिनांक 11 अगस्त 2025 के अनुसरण में संशोधित किया गया और वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 द्वारा स्वीकार किया गया, के जारी रहने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

164. प्राधिकारी, वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद, संबद्ध देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित संबद्ध सामान के सभी आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए आंकड़े के बराबर निश्चित शुल्कों के जारी रहने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक मानते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	1,296	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 को छोड़कर कोई उत्पादक	1,296	एमटी	यूएसडॉ.

4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	1,296	एम टी	यूएसडॉ.

165. उपर्युक्त शुल्क तालिका के क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादक/निर्यातक के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित निम्नानुसार तैयार की गई घोषणा अंकित होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेची गई अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जन.गण. में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।'

166. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो 'किसी अन्य उत्पादक' पर लागू अवशिष्ट शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

O. आगे की प्रक्रिया

167. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ग और नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 06-11-2026 10:24:56

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी